28

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : <u>मनोज गोयल</u>

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बडवानी/भू.रा./2018/1387 विरूद्ध आदेश दिनांक 9-1-18 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 437/अपील/2016-17.

गुलसिंह पिता फुलजी
निवासी ग्राम जलखेडा
तहसील राजपुर जिला बडवानी ....आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

नानुराम पिता मांगु
निवासी ग्राम जलखेडा
तहसील राजपुर जिला बडवानी ....अनावेदक

श्री पी.जी. पाठक, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.सी. पाल, अभिभाषक, अनावेदक

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 9-1-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, राजपूर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जलखेडा तहसील राजपुर स्थित सर्वे क्रमांक 59/2 एवं 61 कुल रकबा 2.165 हेक्टेयर भूमि अनावेदक के स्वामित्व की है । अनावेदक द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन कराये जाने पर अनावेदक के स्वामित्व की भूमि पैकि रकबा 0.040 हेक्टेयर पर आवेदक का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है । अतः अनावेदक के स्वामित्व की भूमि से आवेदक का अनाधिकृत कब्जा हटवाया जाकर, अनावेदक को कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-70/2015-16 पंजीबद्ध कर दिनांक 23-6-2016 को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक को दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजपुर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 28-2-17 को विलम्ब से अवधि विधान की धारा 5 सहित प्रस्तुत की गई ।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6-7-2017 को आदेश पारित कर अपील समयबाधित होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9-1-18 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :-

(1) प्रकरण पत्रिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि नायब तहसीलदार के प्रकरण में आवेदक के उपस्थित होने के उपरांत आवेदक नायब तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित हुआ, परंतु विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का जवाब ना लेते हुए दिनांक 05.05.2016 को साक्ष्य के लिए प्रकरण नियत कर दिया और पश्चात अनावेदक के साक्ष्य के लिए नियत कर दी और पश्चात अनावेदक की साक्ष्य पर आवेदक को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान नहीं किया और न ही आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और नायब तहसीलदार के द्वारा अनावेदक की मिलीभगत से प्रकरण में एकतरफा करते हुए तर्क सुनकर मनमाना तथा कानूनी प्रक्रिया के विपरीत दिनांक 23.06.2016 को आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं लगी, दिनांक 23.06.2016 को आवेदक के विरूद्ध पारित आदेश की जानकारी आवेदक को प्राप्त होते ही समय सीमा में सद्भाविक कारण दर्शित कर अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अवधि बाधित मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई, जबकि आवेदक को प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है, ऐसा आदेश अवैधानिक व त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त होने योग्य है।

(2) सदर प्रकरण में अनावेदक के द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत जो आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त आवेदन पत्र एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में तथा सीमांकन प्रतिवेदन में द्वारा यह स्पष्ट वर्णित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कच्चा काठी का मकान व पशु शेड व रहवासी मकान बने हैं, जिसे हटाने के लिए सबब आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसी प्रकार प्रकरण में दिनांक 23.06.2016 के पंचनामें में भी भूमि पर आवासीय मकान व पशु शेड बने होने बाबद कथन किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2004 आर.एन. पृष्ठ 24 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी पहलू को नजर अंदाज किया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण बताया गया है। आवेदक को तथा अन्य समीपवर्ती कृषकों को उक्त सीमांकन की कार्यवाही के पूर्व उपस्थित रहने

बाबद कोई विधिवत सूचना पत्र भी प्रेषित ही नहीं किये गये। इस संबंध में 2005 आर.एन. 33 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्‌वारा पारित आदेश पूर्णतया अवैध होकर विधि विरूद्ध है।

(4) संहिता की धारा 250 का मुख्य तत्व यह है कि अतिक्रमित भूमि का स्पष्ट वर्णन एवं क्षेत्रफल का वर्णन, आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। प्रस्तुत प्रकरण में सीमांकन प्रतिवेदन में फील्ड बुक संलग्न होना वर्णित है, किंतु प्रतिवेदन के साथ कोई फील्डबुक संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना फील्डबुक के किस दिशा की किस भूमि पर बने मकान व शेड को हटाने के आदेश का परिपालन ही संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त सीमांकन की कार्यवाही तथा तहसीलदार के द्‌वारा पारित आदेश ही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के द्‌वारा पारित आदेश अवैधानिक होकर निरस्त होने योग्य है।

(5) आवेदक गरीब, ग्रामीण व्यक्ति होकर उनके द्‌वारा अपना आशीयाना कई वर्षों से बनाकर उसमें निवास कर रहे हैं एवं अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, जिस भूमि पर आवेदक के द्‌वारा निर्माण किया गया है, उक्त भूमि आवेदक के स्वामित्व की है। उक्त भूमि पर आवेदक का नवीन कब्जा नहीं होकर वर्षों पूर्व का कब्जा है, मौके पर निर्मित मकान आवेदक व पशु शेड आवेदक के स्वामित्व की है फिर भी तहसीलदार द्‌वारा प्रकरण में बिना साक्ष्य व कुटपरीक्षण का मौका दिये प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है। यदि उक्त मकान तोड़ दिये जाते हैं, तो आवेदक बेघर हो जावेंगे। अनावेदक द्‌वारा जानबूझकर सीमांकन प्रतिवेदन में संशोधन कराते हुए आवेदक को परेशान करने की नियत से तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही की गई है, जो अवैधानिक होकर निरस्त होने योग्य है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्‌वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर पारित किया गया होने से 1991 आर.एन. 290 पर उल्लेखित सिद्धांतों के अनुसार उक्त आदेश अधिकारिता रहित है एवं ऐसे आदेश के विरूद्ध परिसीमा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्‌वारा आवेदक की अपील को अवधि बाधित मानकर निरस्त करने में तथा अपर आयुक्त द्‌वारा बिना किसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्‌वारा पारित आदेश को स्थिर रखने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है।

उनके द्‌वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्‌वान अभिभाषक द्‌वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 59/2 एवं सर्वे क्रमांक 60 कुल रकबा 2.165 हेक्टेयर अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्‌वारा अपने स्वत्व, स्वामित्व की भूमि का

सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-12/15-16 पंजीबद्ध कर, समस्त पड़ोसी कृषकों को सूचना दिया जाकर, उपस्थित पंचों के समक्ष सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है । सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक की भूमि पैकि रकबा 0.040 हेक्टेयर पर आवेदक द्वारा कच्चा काठी का मकान एवं पशु शेड बनाकर अनाधिकृत कब्जा किया जाना पाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन के आधार पर अनावेदक द्वारा उसकी भूमि से आवेदक को बेदखल किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना दी गई है और आवेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित किया जाकर आवेदक को बेदखल करते हुए अनावेदक को कब्जा दिलाए जाने के आदेश दिये गये है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी और विलम्ब के संबंध में कोई समाधानकारक कारण नहीं दर्शाया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समयबाधित होने से निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा भी स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखे गये हैं । अतः इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त किया जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक के स्वामित्व की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा होना प्रमाणित पाया गया है । अनावेदक के गवाह के कथन आवेदक अभिभाषक की उपस्थिति में हुए हैं । यदि आवेदक चाहते तो अनावेदक के गवाह का प्रतिपरीक्षण कर सकते थे, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है । उपरोक्त स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि से आवेदक को बेदखल किए जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किये गये हैं, इसलिए उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 9-1-18 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर